


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1237 / 2016..... जिला जयपुर.....

उनवान : मैसर्स प्रीति आईसक्रीम एण्ड फूड्स, जी-563, सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-XI, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22 / 06 / 2016	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना-पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना-पत्र संख्या 14/अपील्स-तृतीय/स्थगन/2016-17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.05.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-एकादश, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 18, 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 04.04.2016 के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध सृजित मांग राशि रूपये 2,03,346/- के स्थगन हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा इस अपील के साथ स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया वसूली योग्य राशि रूपये 2,03,346/- की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री अशोक हंसारिया एवं प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गयी।</p> <p>उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात, प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, प्रकरण में वसूली योग्य अवशेष राशि रूपये 2,03,346/- की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में सक्षम अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।</p> <p>उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।</p>	
	 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	